

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारा

प्रकरण सख्या : 20/2018

सरकार जर्ज लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल



♠ बनाम ♠

केशोलाल पुत्र गोपाल वगैरह समस्त जातियान माली निवासीगण ग्राम गोपालपुरा तह0 मांगरोल
जिला बारां

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

दायरा दिनांक: 05.09.2018

निर्णय दिनांक : 05.09.2018

पटवारी हल्का ईश्वरपुरा, भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) के जर्ज प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत इस आशय का प्राप्त हुआ है कि ग्राम गोपालपुरा के खसरा नं0 200 रकबा 0.90 है0 के साबिक खसरा नं0 61 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि की सेटलमेंट जमाबंदी सम्वत 2014-23 गुदरावनी में खाता केशोलाल वल्द गोपाल हिस्सा 1/3 सीताराम वल्द गोपाल हिस्सा 1/3 व नाथ्या बदरया पिसरान बिहारी हिस्सा बराबर 1/3 दर हिस्सा 1/3 में व देवा शंकर पिसरान रत्ना हिस्सा बराबर 1/3 व चतरा वल्द जयकिशन हिस्सा 1/3 कोम माली सा0 देह दर्ज था। जमाबंदी अनुसार हिस्सा 1/3 में केशोलाल हिस्सा 1/3 सीताराम 1/3 व नाथ्या बदरिया 1/3 यानी कुल खाते का केशोलाल का हिस्सा 1/3 सीताराम का हिस्सा 1/9 नाथ्या बदरया का हिस्सा 1/9 दर्ज था।

इसके उपरान्त नवीन सेटलमेंट 2044-63 में ग्राम गुदरावनी में हाल खसरा नं0 200 रकबा 0.90 है0 में खाता किशना हिस्सा 1/3 सीताराम वल्द गोपाल हिस्सा 1/3 नाथ्या व बदरया पि0 बिहारी 1/3 बराबर शंकर पुत्र रतना हिस्सा बराबर व चतरा पुत्र जयकिशन जाति माली निवास ग्राम के नाम दर्ज हुआ। अतः सेटलमेंट जमाबंदी 2044-63 में हिस्से गलत दर्ज हुए हैं।

जबकि सेटलमेंट जमाबंदी 2014-23 अनुसार नवीन सेटलमेंट में खाता किशना पुत्र केशोलाल हिस्सा 1/9 सीताराम वल्द गोपाल हिस्सा 1/9 नाथ्या व बदरया पि0 बिहारी हिस्सा 1/9 शंकर पुत्र रतना हिस्सा 1/3 चतरा पुत्र जयकिशन हिस्सा 1/3 जाति माली सा0 देह दर्ज होना चाहिए था। तथा वर्तमान जमाबंदी 2074-77 में खाते की स्थिति हीरालाल, छगनलाल, रतनलाल, बाबूलाल पुत्र किशना हिस्सा 4/45 आनन्दपाल, भूपेन्द्र पुत्र अमरलाल बर्जी बाई पत्नि स्व0 अमरलाल हिस्सा 1/45 सीताराम पुत्र गोपाल हिस्सा 1/9 नाथ्या पुत्र बिहारी हिस्सा 1/18 बाबूलाल रामराज पुत्र बद्रीलाल हिस्सा 1/18 देवा

र पुत्र रतना हिस्सा 1/3 चतरा पुत्र जयकिशन हिस्सा 1/3 जाति माली सा0 देह दर्ज होना सही होगा।

उक्त प्रकार का प्रार्थना पत्र जर्गे लैण्ड होल्डर प्राप्त होने पर प्रकरण दिनांक 05.09.2018 को दर्ज रजिस्टर किया गया।

अतः प्रार्थना पत्र के समस्त सलंग्न दस्तावेजात 1. हाल नकल जमाबंदी 2074-77 खाता संख्या 134 2. सेटलमेंट पूर्व जमाबंदी (2014-2023) की छायाप्रति की रोशनी में प्रकरण का भली प्रकार अध्ययन, अवलोकन एवं मनन के उपरान्त आदेश है कि पुरानी प्रविष्टि " ग्राम गोपालपुरा के खसरा नं0 200 रकबा 0.90 है0 के साबिक खसरा नं0 61 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि की सेटलमेंट जमाबंदी सम्वत 2014-23 गुदरावनी में खाता केशोलाल वल्द गोपाल हिस्सा 1/3 सीताराम वल्द गोपाल हिस्सा 1/3 व नाथ्या बदर्या पिसरान बिहारी हिस्सा बराबर 1/3 दर हिस्सा 1/3 में व देवा शंकर पिसरान रत्ना हिस्सा बराबर 1/3 व चतरा वल्द जयकिशन हिस्सा 1/3 कोम माली सा0 देह दर्ज था। जमाबंदी अनुसार हिस्सा 1/3 में केशोलाल हिस्सा 1/3 सीताराम 1/3 व नाथ्या बदरिया 1/3 यानी कुल खाते का केशोलाल का हिस्सा 1/3 सीताराम का हिस्स 1/9 नाथ्या बदरया का हिस्सा 1/9 दर्ज" को हजफ कर नवीन इन्द्राज "नवीन सेटलमेंट में खाता किशना पुत्र केशोलाल हिस्सा 1/9 सीताराम वल्द गोपाल हिस्सा 1/9 नाथ्या व बदरया पि0 बिहारी हिस्सा 1/9 शंकर पुत्र रतना हिस्सा 1/3 चतरा पुत्र जयकिशन हिस्सा 1/3 जाति माली सा0देह दर्ज होना चाहिए था। तथा वर्तमान जमाबंदी 2074-77 में खाते की स्थिति हीरालाल, छगनलाल, रतनलाल, बाबूलाल पुत्र किशना हिस्स 4/45 आनन्दपाल, भूपेन्द्र पुत्र अमरलाल बर्जी बाई पत्नि स्व0 अमरलाल हिस्सा 1/45 सीताराम पुत्र गोपाल हिस्सा 1/9 नाथ्या पुत्र बिहारी हिस्सा 1/18 बाबूलाल रामराज पुत्र बद्रीलाल हिस्सा 1/18 देवा शंकर पुत्र रतना हिस्सा 1/3 चतरा पुत्र जयकिशन हिस्सा 1/3 जाति माली सा0 देह" दर्ज का राजस्व रेकार्ड में अंकन कर पालना से अन्दर 15 योम में अवगत करावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर शुमार से कम होकर दाखिल दफ़्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 05.09.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में